RIGHT TO INFORMATION

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 309 **Indore, Dated 13.02.2020**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

प्रति,

श्री आशीष दुबे पिता श्री अवधनारायण दुबे
पता–190–बी, संगम नगर, इन्दौर (म.प्र.)
मोबाईल नंबर–9229181993, 8349583275

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 264 दिनांक 10/02/2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 09/2020–2021 दिनांक 10/02/2020 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है:–

"माननीय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीब्यूनल, इन्दौर द्वारा ओरिजनल अप्लीकेशन नंबर 1935/90 एत्र.एन. दुबे विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में दिनांक 24.05.2001 को पारित आदेश की सत्यप्रति प्रदान करने की कृपा करें।"

आपके द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/– रू शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान–रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है और 50 रू. भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प को संलग्न करने के बजाय आपने भारतीय पोस्टल आर्डर नं. 50 F 869350 रू 10/– का प्रस्तुत किया हैं जो कि मूलतः ही आपको वापिस किया जा रहा हैं।
2. The High Court of Madhya Pradesh [Right to Indormation] Rules, 2006 के नियम 8 (1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न्यायिक प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदाय करने के लिये जबाबदेय नहीं है जो The High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008 के Chapter-XVIII अंतर्गत आवेदक द्वारा न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा (Copying Section) से प्राप्त की जा सकती है।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ) को अपील कर सकते हैं।

संलग्न :– भारतीय पोस्टल आर्डर नं.
50 F 869350 रू 10/–

(राजेश कुमार शर्मा) 13.02.2020
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर